तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	31/3/21 पत्रावली पेश हुई पेशकार रिपोर्ट पेश मौजिबहा [illegible] उपखण्ड की मामले में निपटारे पोर्टल से लिया जाकर शामिल शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री उत्साह चौधरी (I.A.S.) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

दायर तारीख 01.05.2012

वादपत्र संख्या 40 / 2012

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. डालू पिता हीरा जाति बंजारा **मृतक** :–
1.1 घासी पिता डालु जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
1.2 मुन्शी पिता डालु जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
1.3 हजारी पिता डालु जाति बंजारा **मृतक** :–
1.3.1 देवराज पिता हजारी जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
1.3.2 लक्ष्मण पिता हजारी जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
1.3.3 मुरली पिता हजारी जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
1.3.4 रितु पिता हजारी पत्नि राकेश जाति बंजारा निवासी मिरयाडी, तहसील तोलड़ा, जिला बून्दी।
1.3.5 अंजलि पिता हजारी पत्नि राजू जाति बंजारा निवासी भोपतपुरा तहसील बिजौलियाँ।
1.3.6 काली पिता हजारी जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.3.7 कमलाबाई पत्नि हजारी जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.4 स्वरूपी पिता डालु जाति बंजारा **मृतक** :–
1.4.1 मदन माता स्वरूपी पिता सोला जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.4.2 मुकेश माता स्वरूपी पिता सोला जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.4.3 गीता माता स्वरूपी पिता सोला जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.4.4 काली माता स्वरूपी पिता सोला जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.4.5 चौसर माता स्वरूपी पिता सोला जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.4.6 कैलाशी माता स्वरूपी पिता सोला जाति बंजारा निवासी काटबड़ा तहसील बिजौलियाँ।
1.5 कमला पिता डालु जाति बंजारा निवासी काटबड़ा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार।
2. सुनिल बाकलीवाल – अधिवक्ता प्रतिवादी।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31/03/2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरखेड़ा पटवार मण्डल रेसून्दा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

आराजी संख्या 723/632 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वां, आराजी संख्या 724/636 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वां किता 2 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वां किस्म बंजड़ प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं लेकर अवैध खनन कार्य किया हैं/कराया हैं। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखल करने योग्य है। पटवारी हल्का रेसून्दा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट संलग्न हैं। अतः प्रतिवादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनिल बाकलीवाल ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। तथा प्रार्थना पत्र में विपक्षी अधिवक्ता ने अंकित किया कि प्रकरण में जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता को नकल आज दिनांक 24.03.2021 को प्राप्त होने से जवाब बनाने हेतु समय चाहा।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम केरखेड़ा प0ह0 रेसून्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार एवं विद्वान अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम केरखेड़ा पटवार मण्डल रेसून्दा स्थित आराजी संख्या 723/632 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वां, आराजी संख्या 724/636 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वां किता 2 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वां किस्म बंजड़ भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 31/03/2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्साह चौधरी, IAS)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा